

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 116वीं बैठक दिनांक 26.05.2007 में लिये गये निर्णय / सुझाव का विवरण ।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
1	116.1	कार्यकारी समिति की 115 वीं बैठक दिनांक 18.05.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।			
2	116.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खो रेबारियान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3292 से 3295 रकबा 1.33 है० एवं ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 145, 146, 147मी., 155, 156, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 180, 182, 146/742, 146/745, 146/750 रकबा 12.17 है० कुल रकबा 13.50 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं मिश्रित से संस्थानिक (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (संदीप बक्षी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम खो रेबारियान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3292 से 3295 रकबा 1.33 है० स्वयं की (महिमा शिक्षा समिति) निजी खातेदारी की है जिसका संस्थानिक पट्टा विलेख धारा 90बी के तहत 295 दिनांक 13.6.06 को जारी किया गया है तथा ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 145, 146, 147मी. 155, 156, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 180, 182, 146/742, 146/745, 146/750 रकबा 12.17 है० भूमि जविप्रा के स्वामित्व की थी जिसे जविप्रा द्वारा संस्था को आवंटित की गई है, इस प्रकार कुल रकबा 13.50 है० में से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नदी नालो, बहाव, भराव क्षेत्र से प्रभावित खसरा नं. 146 रकबा 1.43 है० ख.नं. 180 रकबा 1.20 है० कुल रकबा 2.63 है० भूमि मान्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत हुए एवं मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सड़क में निहित होने वाली 1.26 है० वर्ग मीटर भूमि को छोड़ते हुये शेष भूमि 9.61 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं मिश्रित से संस्थानिक (सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
3	116.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 443, 444, 412/779, 445, 446, 450/781, 451/780, 819/442, 433, 434, 436, 437, 392, 394, ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के ख.नं. 491, 448, 462, 478, 836, 871, 461, 463, 823, 842, 831, 881, 473, 422, 425, 436, 394/1017 ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 125, 126, 114, 113, 134, 148, 159/1306, 145, 152/1316, 144/1317, 372/1318, 373/1319, 146, 152, 142, 143, 147, 149, 151, 371/1, 155, 156, 157, 375, 58, 61, 62, 63, 70, 136, 184 से 194, 284, 285, 287, 288, 176, 195 कुल रकबा 31.37 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. ओमेक्स कन्सल्टेशन लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 443, 444, 412/779, 445, 446, 450/781, 451/780, 819/442, 433, 434, 436, 437, 392, 394, ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के ख.नं. 491, 448, 462, 478, 836, 871, 461, 463, 823, 842, 831, 881, 473, 422, 425, 436, 394/1017 ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 125, 126, 114, 113, 134, 148, 159/1306, 145, 152/1316, 144/1317, 372/1318, 373/1319, 146, 152, 142, 143, 147, 149, 151, 371/1, 155, 156, 157, 375, 58, 61, 62, 63, 70, 136, 184 से 194, 284, 285, 287, 288, 176, 195 कुल रकबा 31.37 है० भूमि में से मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सड़क में निहित होने वाली 6300 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 29.21 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
4	116.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीडखातीपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 92/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 20751.25 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (इन्द्र विजय सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भविष्य में सड़क पर महत्वपूर्ण गतिविधिया होने के कारण अगर सड़क को चौड़ा करना आवश्यक हो जाता है तो उस हेतु प्रार्थी से सहमति प्राप्त की जा चुकी है। प्रार्थी से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम बीडखातीपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 92/1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 20751.25 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
5	116.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के ख.नं. 423 से 429, 429/1002 कुल किता 8 रकबा 3.41 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री प्रमोद लोढा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के ख.नं. 423 से 429, 429/1002 कुल किता 8 रकबा 3.41 है० भूमि में से मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली 10857.65 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 13657.28 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
6	116.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 55, 57, 59, 60, 61, 62 कुल किता 6 रकबा 0.51 है० भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सुमति बिल्डकॉन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 55, 57, 59, 60, 61, 62 कुल किता 6 रकबा 0.51 है० भूमि में से मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली 324 वर्ग मीटर को जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं स्वीकृत वाणिज्यिक भू-उपयोग में आ रहे भाग 1908 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ते हुये शेष 2868 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
7	116.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम श्री किशनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 503/1, 503, 521/2, 520, 504, 502, 502/1, 518, 518/1, 519, 516/1, 505/1, 517, 522/2 कुल किता 14 रकबा 2.79 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अमावान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम श्री किशनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 503/1, 503, 521/2, 520, 504, 502, 502/1, 518, 518/1, 519, 516/1, 505/1, 517, 522/2 कुल किता 14 रकबा 2.79 है० भूमि में से मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सडक में निहित होने वाली 11507.04 वर्ग गज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 21789.79 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय एवं अन्य नगरीय उपयोग से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
8	116.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2461/1, 2462, 2463/1, 2468/1, 2469, 2466/1, 2470 से 2474, 2475/2, 2476, 2478, 2479/1, 2480/1, कुल किता 16 रकबा 3.86 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से व्यावसायिक एवं होटल प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पी.एल. स्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2461/1, 2462, 2463/1, 2468/1, 2469, 2466/1, 2470 से 2474, 2475/2, 2476, 2478, 2479/1, 2480/1, कुल किता 16 रकबा 3.86 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से व्यावसायिक एवं होटल प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
9	116.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा रूपा टोंक रोड जयपुर के खसरा नं. 333/492 की कुल 1495.36 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (मै. देवाश्री रियल स्टेट प्रा.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा रूपा टोंक रोड जयपुर के खसरा नं. 333/492 की कुल 1495.36 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने की	निदेशक (आयोजना)/ जोन-1	

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालिका
10	116.10	Approval for restoring the work order in favour of M/s Shiva Advertisiting Co. for the work "Providing, Fixing & Maintenance of Over Head Signages and Bus Shelters on roads of JDA region on BOT basis."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फर्म को सिव्थोरिटी राशि जो जब्त की गई थी। वह जब्त रहेगी परन्तु जिस आदेश से फर्म को भविष्य के कार्यों हेतु debarred किया गया है वह वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer-7	
11	116.11	Proposal for abopting of amendments in clause 45 of agreement and P.W.F. & A.R. made by state Govt.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engineer (TA Cell) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में " In addition to above all the amendements as & when made by Govt. of Rajasthan in PWF&AR, except prevailing of power in JDA, is proposed to be adopted by JDA as it is." को छोड़ते हुये शेष प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।	Zonal Engineer (TA Cell)	
12	116.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 799, 800, 804, 805, 808 से 815 कुल किता 12 कुल रकबा 3.68 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. सिद्धा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 799, 800, 804, 805, 808 से 815 कुल किता 12 कुल रकबा 3.68 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
13	116.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 757, 758 कुल किता 2 रकबा 4.23 है० अर्थात् 42300 वर्ग मीटर भूमि में से 3.68 है० अर्थात् 36800 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से सार्वजनिक किये जाने के संबंध में। (बालाजी शिमा राशिगति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम माचेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 757, 758 कुल किता 2 रकबा 4.23 है० अर्थात् 42300 वर्ग मीटर भूमि में से खसरा नं. 757 में से 0.02 है० एवं ख.नं. 758 में से 0.63 है० कुल रकबा 0.65 है० भूमि सीताली पाटक से लोहापट्टी की अवधि में है को छोड़ते हुये शेष 36800 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से सार्वजनिक किये जाने निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-6	
14	116.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. (418, 419, 420, 411/886, 411/890, 430, 478, 435, 443, 446, 428, 434, 441, 427, 429, 431, 426, 439, 423, 444, व 445 कुल किता 21 कुल रकबा 9.03) है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. सर्वोदय डवलपर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 418, 419, 420, 411/886, 411/890, 430, 478, 435, 443, 446, 428, 434, 441, 427, 429, 431, 426, 439, 423, 444, व 445 कुल किता 21 कुल रकबा 9.03 है० भूमि में से गैस पाईप लाईन से प्रभावित 10790 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ते हुये शेष 79510 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
15	116.15	Electrification of JDA Scheme Transport Nagar, at Sikar Road Phase-IV, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engineer (Elect.-I) से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स जे.के. इलेक्ट्रिक कानटेक्टर की दर 11.51 प्रतिशत अधिक (above) राशि रुपये 2,05,44,076.00 को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (Elect.-I)	

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
16	116.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1245/496 कुल किता 1 रकबा 0.53 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. मार्निंग स्टार लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राप्त हुई आपत्ति को खारिज करते हुये राजस्व ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1245/496 कुल किता 1 रकबा 0.53 है० भूमि में से मास्टर प्लान/सेक्टर रोड में निहित होने वाली 717.75 वर्ग मीटर एवं प्लान्टेशन कोरीडोर में आ रही 1035 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3547 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
17	116.17	जविप्रा द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना नेमीनगर के भूखण्ड संख्या-6 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (नवीन अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना नेमीनगर के भूखण्ड संख्या-6 क्षेत्रफल 485 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड के पैरामीटर्स नियमानुसार होंगे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
18	116.18	श्री रामावतार खाती, भू मापक की 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री रामावतार खाती, भू मापक की प्रतिनियुक्ति दिनांक 16.6.07 से 15.06.08 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
19	116.S1	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (अभिषेक शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 268 में से क्षेत्रफल 531 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
20	116.S2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगरुखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 155, 162, 127 से 141, 172, 173, 196, 72, 78 से 81, 83 से 89, 51 से 54, 61, 74, 76/106, 77/1007, 80/1008, 147, 158, 171, 197, 198, 75/1005 कुल किता 47 रकबा 13.08 है० अर्थात् 130800 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. सिद्धा पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बगरुखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 155, 162, 127 से 141, 172, 173, 196, 72, 78 से 81, 83 से 89, 51 से 54, 61, 74, 76/106, 77/1007, 80/1008, 147, 158, 171, 197, 198, 75/1005 कुल किता 47 रकबा 13.08 है० अर्थात् 130800 वर्ग मीटर भूमि जिस हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध हो गया है का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण पुनः राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर